न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 01 / 2023

1 रविन्द्र सिंह पुत्र श्री घीसासिंह उम्र 50 वर्ष जाति राजपूत निवासी किशनपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

अपीलांट

बनाम

1 सत्यप्रकाश दत्तक पुत्र रामेश्वर
2 ज्यानकी देवी पत्नी हरिराम
3 रणजीत पुत्र हरिराम
समस्त जाति जाट निवासी ईलाखर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)
4 कमलेश देवी पत्नी धर्मपाल सिंह जाति राजपूत निवासी किशनपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)
5 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)
6 उप पंजीयक खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.12.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी बमुकदमा नम्बर 105 / 2022 उनवानी सत्यप्रकाश वगैरह बनाम कमलेश देवी वगैरह दावा बाबत खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह किशनावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री फूलचन्द सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 10.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खतेड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 105/2022 में पारित निर्णय दिनांक 21.12.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत भूमि खसरा नम्बर 346, 350 का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण ने राजस्व रिकार्ड व मौका कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन किये जाने की सहमति दी थी परन्तु फिर भी विचारण न्यायालय ने कानून की मंशा के विपरीत जाकर भूमि खसरा नम्बर 346 व 350 कुल रकबा 1.82 हैक्टेयर के संबंध में वादीगण (रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3) का संयुक्त रूप से प्रत्येक खसरा नम्बर में से पृथक—पृथक 30/91 हिस्से का तथा वादग्रस्त कृषि भूमि के कुल रकबा 1.82 हैक्टेयर में रेस्पोडेन्ट संख्या 4 का 30/91 हिस्से व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपीलान्ट का 31/91 हिस्से का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम करने का आदेश पारित कर दिया। विचारण न्यायालय ने पक्षकारान के मौके एवं कब्जे काश्त के अनुसार प्राथमिक डिक्री व निर्णय में विभाजन का आदेश पारित नहीं किया है बल्कि वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में टुकड़े करते हुए आदेश पारित किया। भूमि खसरा नम्बर 346 रकबा 1.17 हैक्टेयर के सम्पूर्ण रकबा पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 का कब्जा काश्त है जो शुरू से ही काश्त करते आ रहे है तथा खसरा नम्बर 350 रकबा 0.65 हैक्टेयर में से 30/90 हिस्से पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 का कब्जा काश्त है। खसरा नम्बर 346 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने कभी काश्त नहीं किया है न ही उनका कब्जा काश्त रहा है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 350 पर ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 का कब्जा काश्त है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा उक्त खसरा नम्बर 350 में से ही कृषि भूमि कय की गई थी और कय के समय भूमि खसरा नम्बर 350 पर ही कब्जा दिया गया था इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 का भूमि खसरा नम्बर 346 पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। विचारण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तो सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 का मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित न ही किया है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.12.2022 को अपास्त किया जाकर पत्रावली विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जावे कि वादग्रस्त कृषि भूमि का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर निर्णय पारित करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में भूमि खसरा नम्बर 346 व 350 वाके ग्राम किशनपुरा के विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। राजस्व रिकार्ड में इन भूमियों में वादी संख्या 1 से 3 का 30/91 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 30/91 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

31/91 हिस्सा दर्ज है। विचारण न्यायालय के समक्ष उभयपक्ष ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करने पर सहमति दी है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से, मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में भूमि खसरा नम्बर 346 व 350 वाके ग्राम किशनपुरा के विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। राजस्व रिकार्ड में इन भूमियों में वादी संख्या 1 से 3 का 30/91 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 30/91 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 31/91 हिस्सा दर्ज है। विचारण न्यायालय के समक्ष उभयपक्ष ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करने पर सहमति दी है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से, मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)